



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072020-220681
CG-MH-E-24072020-220681

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/श्रावण 1, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SRAVANA 1, 1942

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम अधिसूचना

मुंबई, 15 जुलाई, 2020

संदर्भ: यूटी/एचडी/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट/20-21.—महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. आय निर्धारण

- I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
 - क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाली लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहाँ यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट-प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय

यह, प्रोद्भव आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

- i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
- iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल हैं।
- iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।
- vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
- vii. डिबेंचर/बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश का शोधन/देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ड. निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन**I. इक्विटी एवं इक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियां -****अ. कारोबारी प्रतिभूतियां**

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाजार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु. 5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अनुपस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां

प्रतिभूतियों में निवेश, जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है:

नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के आधार पर, शुद्ध संपत्ति की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी -

शेयर पूंजी

जोड़ें - आरक्षित निधि (पुनःमूल्यांकन आरक्षण निधि को शामिल न करते हुए)

घटाएं - विविध व्यय

घटाएं - अमूर्त आस्तियां (अनोद्भूत प्रतिभूतियों के मामले में)

घटाएं - लाभ एवं हानि खाते (ऋण शेष)

परिणामी आंकड़ा, कंपनी की शुद्ध संपत्ति है, जिसे बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित किए जाने पर प्रति शेयर का कुल मूल्य (नेटवर्थ) प्राप्त होता है।

प्रति शेयर अर्जन को बढ़ाकृत औद्योगिक पी/ई(लाभ/अर्जन) अनुपात से गुणा करने पर पूंजीकृत अर्जन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग हेतु औसत पूंजीकरण दर (पी/ई अनुपात) में 75% की छूट दी जाएगी। उपरोक्तानुसार गणना किए गए, प्रति शेयर के कुल मूल्य एवं पूंजी अर्जन मूल्य के अनुसार मूल्य का औसत किया जाएगा तथा नकदी की उपलब्धता हेतु उसमें 10% की और अधिक छूट दी जाएगी ताकि उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। अनोद्धृत इक्विटी शेयरों के मामले में छूट संबंधी घटक, 10% के बजाए 15% होगा।

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस), के नकारात्मक (-ve) होने की स्थिति में, पूंजीकृत अर्जन का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु उक्त वर्ष हेतु मूल्य को शून्य माना जाएगा। वर्ष के समापन से 6 महीनों के अंदर, नवीनतम तुलनपत्र के उपलब्ध न होने की स्थिति में, ऐसी कंपनियों के शेयरों का मूल्य, शून्य माना जाएगा। कंपनी का कुल मूल्य नकारात्मक(-ve) होने पर, शेयर को शून्य पर चिन्हित किया जाएगा।

II. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां -

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां -

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाज़ार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाज़ार अथवा अन्य किसी शेयर बाज़ार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु. 5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियां -

गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i. दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां -

60 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों से अधिक की अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल एवं आईसीआरए द्वारा प्रदान की जाने वाली औसतन मूल्यों पर किया जाता है।

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/अंशतः/वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर:

- डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाज़ार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बढ़ा काट कर किया जाता है।

- ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा ड (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii अदजाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां -

अदजाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बढ़ा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बढ़ा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बढ़ा काट कर किया जाता है।

III अनोद्धृत वारंट

अनोद्धृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बढ़ाकृत, यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा दिया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहाँ वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

और जहाँ देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

IV अधिकार पात्रता:

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बढ़ा काट कर, जहाँ लागू हो, किया जाता है।

V मुद्रा बाज़ार की लिखते:

मुद्रा बाज़ार की लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VI अनोद्धृत/कम कारोबारी अधिमान शेयर:

- i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- ii. 'अदजाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न' श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बढ़े पर किया जाता है।
- iii. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- iv. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बढ़ा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% का बढ़ा लागू होता है।
- v. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर ऊपर दिए गए अनुसार बढ़ा लागू होता है।
- vi. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

VII. म्यूचुअल फंड की यूनितें

म्यूचुअल फंड की सूचीबद्ध एवं कारोबारी यूनितें का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि की अंतिम कारोबारी मूल्य पर किया जाता है। एमएफ की असूचीबद्ध यूनितें तथा सूचीबद्ध परंतु गैर कारोबारी यूनितें का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को उपलब्ध शुद्ध आस्ति मूल्य(एनएवी) पर किया जाता है।

VIII कार्पोरेट कार्रवाई

कार्पोरेट कार्रवाइयाँ, जैसे विलयन, अविलयन की सूचना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाती है ताकि उक्त प्रतिभूतियों की लागत की जानकारी प्राप्त की जा सके।

च. प्रावधान एवं मूल्यहास:**I. निवेश के मूल्य में मूल्यहास:**

उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार गणना किए गए निवेशों के मूल्य के उक्त निवेशों की लागत से तुलना की जाती है, तथा सभी प्रतिभूतियों के मूल्य में परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप से बहियों में उल्लिखित किया जाता है। हालांकि, विवेकी लेखांकन नीति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि को लेखा की बहियों में आय के रूप में नहीं माना जाता है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

- i. आस्ति को गैर निष्पादी(एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी आस्तियाँ जिनका ब्याज/मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।
- ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।
- iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

अंतर योजना कारोबार (आईएसटी)

कारोबारी इक्विटी शेयर: कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी, यथा आईएसटी तिथि, अंतर दिन (स्पॉट मूल्य) पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाज़ार मूल्य पर किया जाता है।

ज अभिरक्षक

भारतीय स्टॉक धारिता निगम (एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा प्रोड्युक्शन आधार पर उनके शुल्क की गणना की जाती है।

झ अचल आस्तियां

- i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

- ii. मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधे दर पर किया जाता है -

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%

पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

- iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि 8 वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे 8 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और 8 वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।
- iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

ब प्रारक्षित निधि:

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25ख(1) के प्रावधानों के अनुसार दो फंड, अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना फंड एवं कर्मचारी कल्याण फंड, जिनका गठन विकास आरक्षित फंड से किया गया था, हालांकि जो एसयूटीआई का अंश है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	एसयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
पूंजी.....'A'	-	-
प्रारक्षित निधि और अधिशेष 'ख'	172,502.82	165,906.65
वर्तमान देयताएं और प्रावधान 'ग'		

	178,848.89	178,794.47
अन्य फंड का आकार		
अन्य फंड की वर्तमान देयताएं और प्रावधान	91,094.13	77,476.94
अन्य फंड.....'घ'	53,011.18	60,365.79
	144,105.31	137,842.73
कुल देयताएं	495,457.02	482,543.85
आस्तियां		
निवेश	322,098.29	329,633.69
जमाराशियां	18,996.81	5,257.65
चालू आस्तियां	7,619.03	7,063.47
अचल आस्तियां	2,637.58	2,746.31
अन्य फंड की आस्तियां	144,105.31	137,842.73
कुल आस्तियां	495,457.02	482,543.85

लेखा टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.डी. आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन सप्रे
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता संख्या. 116952

सुरोजित सहा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के एन पृथ्वीराज
सलाहकार

वसंता गोविंदन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2020

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु राजस्व लेखा		
	रुपए लाख में	
	एसयूयूटीआई	
	चालू	पिछला
	वर्ष	वर्ष
आय		
लाभांश	60,406.54	58,608.42
ब्याज	4,366.49	(630.37)
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	151,785.60	1,188,824.40
अन्य आय	868.32	617.87
पूर्व अवधि का आय	(91.92)	(37.60)
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	5.12	-
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	70.73	1,612.90
पुनरांकित प्राप्य हेतु प्रावधान	(34.67)	(0.10)
उप योग (क)	217,376.21	1,248,995.52
घटाएं: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	47.67	48.00
घटाएं: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	154.62	15.64
उप योग (ख)	202.29	63.64
योग (क-ख)	217,173.92	1,248,931.88
व्यय		
कार्यालय व्यय	1,161.70	1,110.28
प्रचार व्यय	1.58	13.77
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	1,216.46	1,677.99
लेखापरीक्षक का शुल्क	13.44	13.71
एएमसी का शुल्क	977.25	1,077.76
स्थाई आस्तियों में मूल्यहास	62.60	58.27
उप योग (क)	3,433.03	3,951.78
जोड़े: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि	74.48	1,287.18
उप योग (ख)	74.48	1,287.18
योग (क)+(ख)	3,507.51	5,238.96
व्यय से आय की अधिकता	213,666.41	1,243,692.92
योग	217,173.92	1,248,931.88

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक		
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा		
	रुपए लाख में	
	एसयूयूटीआई	
	चालू	पिछला
	वर्ष	वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा		
व्यय से आय की अधिकता	213,666.41	1,243,692.92
घटाएं : परिपक्वता पर प्रीमियम - मोचन	(0.40)	(1.36)
योग	213,666.01	1,243,691.56
शेष सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	213,666.01	1,243,691.56
योग	213,666.01	1,243,691.56
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखा का अभिन्न भाग है।		
समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार		
कृते		
जी.डी आपटे एवं कंपनी		
सनदी लेखाकार		
संस्था पंजीकरण संख्या 100515W		
चेतन सप्रे	सुरोजित सहा	के एन पृथ्वीराज
भागीदार	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सलाहकार
आईसीएआई सदस्यता संख्या. 116952		
मुंबई		
दिनांक: 15 मई, 2020		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक		
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं		
	रुपए लाख में	
	एसयूयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
तालिका 'क'		
पूंजी		
बॉण्ड पूंजी	-	-
योग	-	-
तालिका 'ख'		

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(279,463.84)	(279,463.84)
वर्ष के दौरान संग्रहित (प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	-	-
योग	(279,463.84)	(279,463.84)
स्थायी संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	1,678.55	1,766.90
घटाएं: स्थायी संपत्तियों पर मूल्यहास में अंतरित	83.89	88.35
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	1.49	-
योग	1,593.17	1,678.55

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक		
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)		
	रुपए लाख में	
	एसयूयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
तालिका 'ख' (जारी.)		
सामान्य प्रारक्षित निधि		
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	443,691.94	442,611.27
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित	213,666.01	1,243,691.56
स्थायी संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	1.49	-
भारत सरकार को विप्रेषण	(206,985.95)	(1,242,610.89)
उप योग (क)	450,373.49	443,691.94
कुल योग	172,502.82	165,906.65
तालिका 'ग'		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविध लेनदार	6,009.40	4,319.83
भारत सरकार को देय	-	-
संवीक्षाधीन आवेदन राशि	231.66	231.87
अदावी आय/लाभांश वितरण	121,055.14	122,851.37
योग (क)	127,296.20	127,403.07
प्रावधान		
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	722.43	679.87
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	49,547.96	49,463.90
प्राप्य हेतु प्रावधान	1,282.30	1,247.63
योग (ख)	51,552.69	51,391.40
कुल योग (क)+(ख)	178,848.89	178,794.47

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक		
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)		
	रुपए लाख में	
	एसयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
तालिका घ		
अन्य फंड		
(क) कर्मचारी कल्याण फंड (एसडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	47,296.89	44,201.05
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	3,374.60	3,109.27
फंड का उपयोग	14.56	13.43
फंड का आकार - उप योग (क)	50,656.93	47,296.89
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	-	-
उप योग (ख)	-	-
कुल योग 'ग' = (क+ख)	50,656.93	47,296.89
(ख) अस्ति पुनःसंरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	30,180.05	28,931.96
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	10,335.34	1,361.30
फंड का उपयोग	78.19	113.21
भारत सरकार को विप्रेषण	-	-
फंड का आकार - उप योग (क)	40,437.20	30,180.05
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	473.62	1,608.61
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	4,007.43	4,387.57
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	48,530.13	54,369.61
उप योग (ख)	53,011.18	60,365.79
कुल योग 'घ' = (क+ख)	93,448.38	90,545.84
अन्य फंडों का आकार - योग I	91,094.13	77,476.94
अन्य फंडों की चालू देयताएं और प्रावधान - योग II	53,011.18	60,365.79
अन्य फंड कुल योग (क+ख)	144,105.31	137,842.73

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)
रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
तालिका 'ड'		
निवेश		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	31.48	55.62
अधिमान शेयर	1,089.23	1,089.23
इक्विटी शेयर	298,578.72	306,089.98
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	22,398.86	22,398.86
योग	322,098.29	329,633.69
उद्धृत (लागत पर)	248,796.59	256,295.19
अनोद्धृत (लागत पर)	73,301.70	73,338.50
	'क'	322,098.29
उद्धृत (बाजार मूल्य)	2,173,951.74	4,072,667.62
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	116,412.23	143,943.93
	'ख'	2,290,363.97
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)		
योग ('ख' - 'क')	1,968,265.68	3,886,977.86
तालिका 'च'		
जमाराशियां		
बैंक में जमाराशियां	18,000.00	-
अन्य जमाराशियां	996.81	5,257.65
योग	18,996.81	5,257.65
तालिका 'छ'		
चालू आस्तियां		
बैंकों में चालू खाता शेष	271.77	258.99
विविध देनदार	5,822.59	5,840.18
बकाया और प्रोद्भूत आय	1,506.79	946.42
अग्रिम, जमाराशियां आदि	17.88	17.88
योग	7,619.03	7,063.47

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

यूएस 64 बॉण्ड

तालिका 'झ'

अचल आस्तियां

रु. लाख में

	लागत पर कुल ब्लॉक				मूल्यहास						शुद्ध ब्लॉक	
	यथा 31 मार्च, 2019	जमा/समायोजन	कटौती/समायोजन	कुल यथा 31.03.2020	यथा 31.मार्च.2019	कटौती/समायोजन	1.4.19 से 31.03.20	1.4.19 से 31.03.20 तक	कुल मूल्यहास 1.4.19 TO 31.03.20	कुल यथा 31.03.2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
							तक लागत पर हास	पुनर्मूल्यांकित लागत पर हास				
जमीन पूर्ण स्वामित्व	24.04	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04
भवन	206.42	0.00	19.35	187.07	125.43	10.24	0.40	3.42	3.82	119.01	68.06	80.99
स्वामित्व वाले परिसर	8192.74	0.00	4.23	8188.51	5559.16	2.74	51.16	80.47	131.62	5688.04	2500.45	2633.58
कार्यालय उपकरण	17.15	48.37	0.00	65.52	9.79	0.00	10.92	0.00	10.92	20.71	44.81	7.36
कंप्यूटर	1.56	0.00	0.00	1.56	1.21	0.00	0.12	0.00	0.12	1.34	0.22	0.35
योग	8441.91	29.02	4.23	8466.70	5695.59	12.98	62.60	83.89	146.48	5829.10	2637.58	2746.32

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)
रुपए लाख में

	एसयूटीआई	
	31.03.2020	31.03.2019
तालिका 'झ'		
अन्य फंडों की आस्तियां		
(क) कर्मचारी कल्याण फंड(एसडब्ल्यूएफ) की आस्तियां		
इक्विटी शेयर	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	1,487.81	1,487.81
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	46,776.72	43,554.49
लागत पर निवेश उप योग (क)	48,264.53	45,042.30
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	2,392.40	2,254.59
उप योग (ख)	2,392.40	2,254.59
कुल योग ग = (क+ख)	50,656.93	47,296.89
(ख) आस्ति पुनर्संरचना फंड (एआरएफ) की आस्तियां		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	224.01	395.76
इक्विटी शेयर	5.13	5.14
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	13,800.00	20,953.83
मियादी ऋण	-	-
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	26,581.20	9,946.63
लागत पर निवेश उप योग (क)	40,610.34	31,301.36
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	4,502.81	4,420.75
विविध देनदार	48,335.23	54,823.73
उप योग (ख)	52,838.04	59,244.48
कुल योग घ = (क+ख)	93,448.38	90,545.84
अन्य फंडों की आस्तियां कुल योग (ग+घ)	144,105.31	137,842.73

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च 2020, को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में एसयूयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।
2. नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान एक्सिस बैंक एवं एल&टी लिमिटेड शेयरों को भारत 22-ईटीएफ खाता में स्थानांतरित किया गया था। उक्त शेयरों की बिक्री पर रु. 1402.30 करोड़ की राशि, लाभ के रूप में दर्ज की गई है। उक्त शेयरों की अधिग्रहण लागत को भारत औसत लागत के रूप में माना गया है।

भारत-22 (ईटीएफ)

प्रतिभूति	शेयरों की संख्या	बिक्री लागत	बिक्री मूल्य	क्रय लागत	लाभ
एक्सिस बैंक	7235212	643.867	465.85	20.90	444.96
एल & टी	7137312	1406.704	1004.01	46.67	957.34
	14372524	कुल	1469.86	67.57	1402.30

3. विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त रु. 2.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2.31 करोड़) की आवेदन राशि, एसयूयूटीआई की बहियों में बकाया है जिसके संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
4. अभिरक्षक (एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-

क्रम सं.	आस्ति वर्ग	अंतर(रु. करोड़ में)	कारण	
1	इक्विटी शेयर	2.16 (लागत)	बहियों में बिक्री की प्रविष्टि परंतु खरीददार के डीमैट खाते अवरुद्ध होने के कारण शेयर जारी नहीं किए गए	
2	अधिमाम शेयर	0.05(लागत)	कंपनियां प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित कर रही हैं/ दिवालियापन के अधीन हैं	
3	डिवेंचर एवं बॉण्ड	170.51(अंकित मूल्य)	विवरण	राशि
			देय राशि की वसूली हेतु की गई कानूनी कार्रवाई	109.52
			कंपनी से देय राशि के भुगतान के साक्ष्य के रूप में पुष्टि/पत्र उपलब्ध	0.66
			पुनर्संरचना के कारण प्रतिभूति जारी नहीं की गई	24.93
			रुग्ण/दिवालिया कंपनियां	35.40

5. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा(3) के अंतर्गत समय-समय पर विस्तारित गैर-जमानती अग्रिम एवं ऋण।

- (ii) इक्विटी एवं ऋण जहाँ कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में है;
- (iii) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।

6. कंपनियां जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूटीआई के पास है, निम्नानुसार हैं।

कंपनी का नाम	एसयूटीआई धारिता
यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ लि.	91.44%
एक्सिस बैंक लि.,	4.60%
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लि.	100 %

7. एसयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है। कंपनी ने 24.06.2019 को कार्य के स्वरूप एवं संबंधित सेवाओं के लिए एसयूटीआई के साथ औपचारिक करार किया है जो कि 31 मार्च, 2021 की अवधि तक वैध रहेगा।

क. लखनऊ, नागपुर, नासिक, राजकोट, भोपाल, अहमदाबाद, घाटकोपर, मेकर कुंदन गार्डन, बान्द्रा रेक्लमेशन मुंबई, बंजारा हिल्स – हैदराबाद, गुडगांव और कोलकाता में, एसयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत स्थित संपत्तियों की बिक्री/प्रलेखीकरण/कानून संबंधी कार्य, एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख. एसयूटीआई ने मेकर कुंदन गार्डन एवं बांद्रा रेक्लमेशन- मुंबई स्थित घरों को विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर दिया है। एक्सिस, भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी), यूटीआई एएमसी –वैयक्तिक व्यक्तियों के साथ औपचारिक करार किए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ औपचारिक करार की प्रक्रिया जारी है।

8. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 2.28 करोड़ के मामलों लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

9. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

सुरोजित सहा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के एन पृथ्वीराज
सलाहकार

वसंता गोविंदन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते जी डी आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन आर. सप्रे
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952
मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2020

वसंता गोविंदन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./135/2020-21]

**SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th July, 2020

Ref: UT/HD/DOFA/SUUTI-Gazette/2020-21.— SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the “ex-dividend” date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- IV. Unit Scheme 1964 Bonds , which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors , from UTI AMC Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax ,stamp charges and other taxes.
- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on “ex-right” dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on “ex-bonus” dates.
- vii. Investments in debenture / bonds , loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater

than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value as detailed below.

Based on the latest available Balance Sheet, net worth shall be calculated as follows:

Share Capital

Plus: Reserves (excluding revaluation reserve)

Less: Miscellaneous expenditure

Less: Intangible Assets (in case of unlisted securities)

Less: P & L Accounts (Debit balance)

The resultant figure is the Net Worth of the Company, which when divided by the number of shares outstanding gives the net worth per share.

Capitalized earning price will be arrived at by multiplying the earnings per share with the discounted industry P/E ratio. Average capitalization rate (P/E ratio) for the industry shall be discounted by 75%. The value as per the net worth value per share and capital earning value calculated as above shall be averaged and further discounted by 10% for illiquidity so as to arrive at the fair value. In case of unlisted equity shares the discount factor will be 15% instead of 10%.

In case, the Earnings per share (EPS) is –ve, EPS value for the year shall be taken as zero for arriving at capitalized earning. In case latest balance sheet is not available within 6 months from the close of the year, the shares of such companies shall be valued to zero. If the net worth of the company is –ve the share would be marked down to zero.

II. Debentures , bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) Rated Debt Securities:

Debt securities with residual maturity of greater than 60 days:

Investment in securities with residual maturity period of greater than 60 days are valued at the average of prices provided by CRISIL and ICRA.

Debt securities with residual maturity of up to 60 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 60 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

- i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.
- ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

IV. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

V. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VI. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iii. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- iv. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.
- v. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.
- vi. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

VII. Mutual Fund Units:

Mutual Fund Units listed and traded are valued at the closing traded price as on the valuation date. Unlisted MF Units and listed but not traded MF Units are valued at the Net Asset Value (NAV) as on the valuation date.

VIII. Corporate Action:

Corporate actions such as merger, demerger are referred to the Valuation Committee to discover the prices of such securities.

F. Depreciation and Provision:**I. Depreciation in the value of investments:**

The value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the cost of such investments and the resultant depreciation in the value of all securities, if any, is fully provided in the books. However, considering the prudent accounting policy, the appreciation in the value of securities is not considered as income in the books of accounts.

II. Provisions for non performing asset: (NPA)

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. The interest and investment provision is made from the date the asset is classified as NPA.
- ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.
- iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

Traded equity shares: ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

H. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets :

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

- | | |
|---|--------|
| Building and ownership premises | 5% |
| Furniture and Fixtures | 10% |
| Office equipments, Building Improvements,
Software, Computers & Motor Vehicles | 33.33% |
- Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.
- iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- v. On sale of Fixed Assets, the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the erstwhile Unit Trust of India Act, 1963, the two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund, though belonging to the SUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
CAPITAL.....'A'	-	-
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	172,502.82	165,906.65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	178,848.89	178,794.47
SIZE OF OTHER FUNDS	91,094.13	77,476.94
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	53,011.18	60,365.79
OTHER FUNDS.....'D'	144,105.31	137,842.73
TOTAL LIABILITIES	495,457.02	482,543.85
ASSETS		
INVESTMENTS.....'E'	322,098.29	329,633.69
DEPOSITS'F'	18,996.81	5,257.65
CURRENT ASSETS.....'G'	7,619.03	7,063.47
FIXED ASSETS.....'H'	2,637.58	2,746.31
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'I'	144,105.31	137,842.73
TOTAL ASSETS	495,457.02	482,543.85

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

G. D. APTE & CO.**Chartered Accountants****Firm Registration No. 100515W****CHETAN SAPRE****Partner****ICAI Membership No. 116952****SUROJIT SAHA****Chief Finance Officer****K.N. PRITHVIRAJ****Advisor****VASANTHA GOVINDAN****Chief Executive Officer**

Mumbai

Dated : 15th May, 2019

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2019 TO 31ST MARCH, 2020****Rupees in Lakhs**

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME		
DIVIDEND	60,406.54	58,608.42
INTEREST	4,366.49	(630.37)
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	151,785.60	1,188,824.40
OTHER INCOME	868.32	617.87
PRIOR PERIOD INCOME	(91.92)	(37.60)
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	5.12	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS WRITTEN BACK	70.73	1,612.90
PROVISION FOR RECEIVABLES WRITTEN BACK	(34.67)	(0.10)
SUB TOTAL (A)	217,376.21	1,248,995.52
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	47.67	48.00
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS		15.64
SUB TOTAL (B)	202.29	63.64
TOTAL (A-B)	217,173.92	1,248,931.88
EXPENDITURE		
OFFICE EXPENSES	1,161.70	1,110.28
PUBLICITY EXPENSES	1.58	13.77
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	1,216.46	1,677.99
AUDITORS' FEES	13.44	13.71
AMC FEES	977.25	1,077.76
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	62.60	58.27
SUB TOTAL (A)	3,433.03	3,951.78
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	74.48	1,287.18
SUB TOTAL (B)	74.48	1,287.18
TOTAL (A)+(B)	3,507.51	5,238.96
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	213,666.41	1,243,692.92
TOTAL	217,173.92	1,248,931.88

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2019 TO 31ST MARCH, 2020**
Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE LESS : PREMIUM ON MATURITY - REDEMPTION	213,666.41 (0.40)	1,243,692.92 (1.36)
TOTAL	213,666.01	1,243,691.56
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	213,666.01	1,243,691.56
TOTAL	213,666.01	1,243,691.56

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

G. D. APTE & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100515W

CHETAN SAPRE

Partner

ICAI Membership No. 116952

SUROJIT SAHA

Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ

Advisor

VASANTHA GOVINDAN

Chief Executive Officer

Mumbai

Dated : 15th May, 2019

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED**
31ST MARCH, 2020

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
SCHEDULE 'A' CAPITAL BOND CAPITAL	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS UNIT PREMIUM RESERVE BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR) PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(279,463.84) -	(279,463.84) -
TOTAL	(279,463.84)	(279,463.84)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE BALANCE AS PER LAST B.SHEET(REVALUATION RESERVE) LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,678.55 83.89 1.49	1,766.90 88.35 -
TOTAL	1,593.17	1,678.55

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2020 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
SCHEDULE 'B' (Contd.)		
GENERAL RESERVE		
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	443,691.94	442,611.27
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	213,666.01	1,243,691.56
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE	1.49	-
REMITTANCE TO GOI	(206,985.95)	(1,242,610.89)
SUB TOTAL (a)	450,373.49	443,691.94
GRAND TOTAL	172,502.82	165,906.65
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS	6,009.40	4,319.83
PAYABLE TO GOI	-	-
APPLICATION MONEY PENDING	231.66	231.87
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	121,055.14	122,851.37
TOTAL (A)	127,296.20	127,403.07
PROVISIONS		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	722.43	679.87
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	49,547.96	49,463.90
PROVISION FOR RECEIVABLES	1,282.30	1,247.63
TOTAL (B)	51,552.69	51,391.40
TOTAL (A)+(B)	178,848.89	178,794.47

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2020 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
SCHEDULE 'D'		
OTHER FUNDS		
(A) STAFF WELFARE FUND (SWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	47,296.89	44,201.05
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	3,374.60	3,109.27
UTILISATION OF FUND	14.56	13.43
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	50,656.93	47,296.89
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	-	-
SUB TOTAL (b)	-	-
TOTAL 'A' = (a+b)	50,656.93	47,296.89
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	30,180.05	28,931.96
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	10,335.34	1,361.30
UTILISATION OF FUND	78.19	113.21
REMITTANCE TO GOI	-	-
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	40,437.20	30,180.05
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		

SUNDRY CREDITORS	473.62	1,608.61
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	4,007.43	4,387.57
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	48,530.13	54,369.61
SUB TOTAL (b)	53,011.18	60,365.79
TOTAL 'B' = (a+b)	93,448.38	90,545.84
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	91,094.13	77,476.94
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	53,011.18	60,365.79
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	144,105.31	137,842.73

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
SCHEDULE 'E'		
INVESTMENTS		
DEBENTURES AND BONDS	31.48	55.62
PREFERENCE SHARES	1,089.23	1,089.23
EQUITY SHARES	298,578.72	306,089.98
MUTUAL FUND UNITS	22,398.86	22,398.86
TOTAL	322,098.29	329,633.69
QUOTED (AT COST)	248,796.59	256,295.19
UNQUOTED (AT COST)	73,301.70	73,338.50
'A'	322,098.29	329,633.69
QUOTED (MARKET VALUE)	2,173,951.74	4,072,667.62
UNQUOTED (AT VALUATION)	116,412.23	143,943.93
'B'	2,290,363.97	4,216,611.55
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		
TOTAL ('B' - 'A')	1,968,265.68	3,886,977.86
SCHEDULE 'F'		
DEPOSITS		
DEPOSITS WITH BANKS	18,000.00	-
OTHER DEPOSITS	996.81	5,257.65
TOTAL	18,996.81	5,257.65
SCHEDULE 'G'		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	271.77	258.99
SUNDRY DEBTORS	5,822.59	5,840.18
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,506.79	946.42
ADVANCES, DEPOSITS ETC	17.88	17.88
TOTAL	7,619.03	7,063.47

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (CONTD.....)

U S 64 BONDS
SCHEDULE 'H'
FIXED ASSETS

(RUPEES IN LAKHS)

	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION							NET BLOCK	
	AS ON 31ST MARCH, 2019	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 31.03.2020	AS ON 31ST MARCH, 2019	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.19 to 31.03.2020	DEPRE ON REVALUED COST TRF FROM REVAL RESERVE (01.04.19 TO 31.03.20)	TOTAL DEPRE 1.4.19 TO 31.03.20	TOTAL AS ON 31.03.2020	AS ON 31ST MARCH, 2020	AS ON 31ST MARCH, 2019	
LAND (FREEHOLD)	24.04	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04	
BUILDINGS	206.42	0.00	19.35	187.07	125.43	10.24	0.40	3.42	3.82	119.01	68.06	80.99	
OWNERSHIP PREMISES	8192.74	0.00	4.23	8188.51	5559.16	2.74	51.16	80.47	131.62	5688.04	2500.45	2633.58	
OFFICE EQUIPMENTS	17.15	48.37	0.00	65.52	9.79	0.00	10.92	0.00	10.92	20.71	44.81	7.36	
COMPUTERS	1.56	0.00	0.00	1.56	1.21	0.00	0.12	0.00	0.12	1.34	0.22	0.35	
TOTAL	8441.91	29.02	4.23	8466.70	5695.59	12.98	62.60	83.89	146.48	5829.10	2637.58	2746.32	

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2020 (CONTD.)**

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2020	31.03.2019
SCHEDULE 'I'		
ASSETS OF OTHER FUNDS		
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)		
EQUITY SHARES	-	-
MUTUAL FUND UNITS	1,487.81	1,487.81
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	46,776.72	43,554.49
INVESTMENT AT COST		
SUB TOTAL (a)	48,264.53	45,042.30
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	2,392.40	2,254.59
SUB TOTAL (b)	2,392.40	2,254.59
TOTAL A = (a+b)	50,656.93	47,296.89
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
DEBENTURES AND BONDS	224.01	395.76
EQUITY SHARES	5.13	5.14
MUTUAL FUND UNITS	13,800.00	20,953.83
TERM LOANS	-	-
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	26,581.20	9,946.63
INVESTMENT AT COST		
SUB TOTAL (a)	40,610.34	31,301.36
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4,502.81	4,420.75
SUNDRY DEBTORS	48,335.23	54,823.73
SUB TOTAL (b)	52,838.04	59,244.48
TOTAL B = (a+b)	93,448.38	90,545.84
ASSETS OF OTHER FUNDS		
TOTAL (A+B)	144,105.31	137,842.73

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

Schedule "M"

- The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.
- During the year the equity shares of Axis Bank and L & T Ltd. were transferred to Bharat 22 – ETF account as per the details given below. An amount of Rs. 1402.30 crore has been booked as profit on sale of these shares. The acquisition cost of these equity shares have been taken as weightage average cost.

BHARAT-22 (ETF)

Security	No. of shares	Selling price	Sale value	Cost price	Profit
Axis Bank	7235212	643.867	465.85	20.90	444.96
L & T	7137312	1406.704	1004.01	46.67	957.34
	14372524	TOTAL	1469.86	67.57	1402.30

3. The application money received under various schemes amounting to Rs. 2.31 crore (previous year Rs.2.31 crore) is outstanding in the books of SUUTI for which no details are available.
4. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following differences:-

Sr. No.	Asset class	Difference (Rs. In Crores)	Reason										
1.	Equity Shares	2.16 (cost)	Sale effected in books but shares not released as buyer's demat accounts are blocked										
2.	Preference Shares	0.05 (cost)	Companies are not responding/are under liquidation										
3.	Debentures and Bonds	170.51 (Face Value)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Details</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legal action taken for recovery of dues</td> <td>109.52</td> </tr> <tr> <td>Confirmation/letter evidencing servicing of dues from Company available</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>Security not issued subsequent to restructuring</td> <td>24.93</td> </tr> <tr> <td>Sick/Liquidated companies</td> <td>35.40</td> </tr> </tbody> </table>	Details	Amount	Legal action taken for recovery of dues	109.52	Confirmation/letter evidencing servicing of dues from Company available	0.66	Security not issued subsequent to restructuring	24.93	Sick/Liquidated companies	35.40
Details	Amount												
Legal action taken for recovery of dues	109.52												
Confirmation/letter evidencing servicing of dues from Company available	0.66												
Security not issued subsequent to restructuring	24.93												
Sick/Liquidated companies	35.40												

5. Investments include,:
- Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
 - Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;
 - Debt exposure in respect of which security creation is in process.
6. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Investment Advisory Services Ltd.	91.44%
Axis Bank Ltd.	4.60%
UTI Infrastructure Technology and Services Ltd.	100%

7. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure Technology and Services Limited (Company). The company has entered into formal agreement with SUUTI on 24-06-2019 relating to the scope of work and related service, which is valid up to 31st March, 2021.
- The work relating to sale/documentation/legal cases for properties situated at Lucknow, Nagpur, Nashik, Rajkot, Bhopal, Ahmedabad, Ghatkopar, Maker Kundan Garden, Bandra Reclamation Mumbai, Banjara Hills – Hyderabad, Gurgaon & Kolkata under the ownership/ possession of SUUTI is a continuous process and is being carried out.

- b. SUUTI has given the flats at Maker Kundan Garden and Bandra Reclamation – Mumbai on lease to various Organisations. Formal agreement has been entered with EXIM, LIC, UTI AMC- Individuals. Execution of agreement with SEBI is in process.
8. Contingent liability not provided for cases pending with Consumer Forum amounts to Rs.2.28 crore.
9. The previous year figures are regrouped / reclassified wherever necessary.

SUROJIT SAHA

Chief Finance Officer

K N PRITHVIRAJ

Advisor

VASANTHA GOVINDAN

Chief Executive Officer

For and on behalf of
G.D.APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 100515W

CHETAN R. SAPRE
Partner
ICAI Membership No. 116952
MUMBAI
DATED: 15th May, 2019

VASANTHA GOVINDAN, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./135/2020-21]